"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 24, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3(पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अनुसूची-पांच में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है इन नियम 11 एवं 13 के अन्तर्गत क्रमश: गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति ;

   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा ;

   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

   (ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5- पच्चीस- 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

   (ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

   (झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ञ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा;

(ट) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएंगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति/रिक्तियों को, भरे

जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये, एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) अभ्यर्थी जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट

यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शुल्क**– (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) **चिकित्सा शुल्क**– ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अवधारित न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती:–

(एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अन्तरालों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, आरक्षित रखा जायेगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता के मानकों को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, की मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा उक्त सूची की वैधता, नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार होगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों

का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(3) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा

आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(4) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, इसके (सूची के) तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित की जायेगी।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण, अभिलिखित करेगी।

16. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतया, कैलेण्डर वर्ष, जिसमें पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जाती है, के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**-- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परीवीक्षा की कालावधि में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

(ग) परीवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परीवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशिष्ट अभ्यर्थी कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परीवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन.**- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण.**- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.-(1)** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			राज्य स्तरीय			
1	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी / पर्यवेक्षक फसल प्रयोग	16	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी / पर्यवेक्षक फसल प्रयोग के पद पर पदोन्नति के समय, एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट की पात्रता होगी।
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	11	—तदैव—	9300—34800	4300	
3	सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख	81	—तदैव—	9300—34800	4200	
4	मुख्य संगणक	02	—तदैव—	5200—.20200	2800	
5	मुख्य मानचित्रकार	01	—तदैव—	5200—.20200	2800	
6	बाज़ार भाव निरीक्षक	02	—तदैव—	5200—.20200	2400	
7	राजस्व निरीक्षक	(643+523) 1166	—तदैव—	5200—.20200	2800	643 पद नियमित एवं 523 पद डाईंग कैडर है।
8	पारगामी	05	—तदैव—	5200—20200	2400	
9	मानचित्रकार	43	—तदैव—	5200—20200	2400	
10	संगणक सांख्यिकी	15	—तदैव—	5200—20200	2200	
11	सहायक प्रोग्रामर	19	—तदैव—	9300—34800	4300	

12	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	244	–तदैव–	5200–20200	2400	
			जिला स्तरीय			
13	पटवारी	3736	–तदैव–	5200–.20200	2200	
14	अनुरेखक	83	–तदैव–	5200–20200	1900	

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			राज्य स्तरीय			
1	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी/पर्यवेक्षक फसल प्रयोग	16		100%		
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	11	25%	75%		
3	सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख	81	25%	75%		सीधी भर्ती के 25% पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा जायेगा।
4	मुख्य संगणक	02		100%		
5	मुख्य मानचित्रकार	01		100%		
6	बाजार भाव निरीक्षक	02		100%		
7	राजस्व निरीक्षक	643	25%	75% (70% पटवारी से 5% अनुरेखक से)		वे अनुरेखक पदोन्नति के लिये पात्र होंगे जो राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिन्हें राजस्व निरीक्षक के अनुरूप मैदानी कार्य का अनुभव हो।
8	पारगामी	05	100%			
9	मानचित्रकार	43	60%	40%		अनुरेखक के पद से पदोन्नति की जायेगी।

10	संगणक सांख्यिकी	15	75%	25%		ऐसे सहायक ग्रेड–तीन, स्टेनो टायपिस्ट और अनुरेखक जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, समाज शास्त्र एवं कृषि में से किसी एक में स्नातक उपाधि हो।
11	सहायक प्रोग्रामर	19	50%	50%		केवल वे ही डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे, जो सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु अनुसूची –तीन में यथा उल्लिखित वांछनीय योग्यता रखते हो।
12	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	244	100%			
			जिला स्तरीय			
13	पटवारी	3736	100%			
14	अनुरेखक	83	100%			

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या कृषि में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।	–
2	सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	–
3	राजस्व निरीक्षक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।	–
4	पारगामी	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा।	
5	मानचित्रकार	18 वर्ष	–तदैव–	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. में सिविल डिप्लोमा और 5 वर्ष का अनुभव /पालीटेकनिक से सिविल में डिप्लोमा।	–
6	संगणक सांख्यिकी	21 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या कृषि में से किसी एक विषय में स्नातक।	–

7	सहायक प्रोग्रामर	–तदैव–	–तदैव–	(1) कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ या प्रथम श्रेणी में भौतिकी / गणित / सांख्यिकी शोध कार्य / अर्थशास्त्र / कम्प्यूटर सांइस में एम.एस.सी. या एम.ए. अथवा उसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिये और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का 5 नवीनतम भाषाओं का अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिये। (2) द्वितीय श्रेणी के साथ भौतिकी / गणित / सांख्यिकी शोध कार्य / अर्थशास्त्र / कम्प्यूटर सांइस में एम.एस.सी. या एम.ए. उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा प्रथम श्रेणी में भौतिकी / गणित / सांख्यिकी / अर्थशास्त्र / कम्प्यूटर साइंस में बी.एस.सी. या बी.ए. अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा साथ ही दो वर्ष का अनुभव एवं फाक्स–3 प्रो. –बिन्दु c++, एवं oracal में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग क्षमता अनिवार्य है।	–
8	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोगामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।	

9	पटवारी	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) शासकीय/अर्द्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अर्हता होना चाहिये। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोगामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।	—
10	अनुरेखक	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। अथवा इन्टर ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण/आई.टी.आई. से अनुरेखक/मानचित्रकार में डिप्लोमा।	—

टीपः— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 13 एवं 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजस्व निरीक्षक	सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख	5 वर्ष	(1) सचिव, राजस्व – **अध्यक्ष** (2) संचालक भू–अभिलेख – **सदस्य** (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिसमय वेतनमान का आईएएस. अधिकारी – **सदस्य** (4) अपर संचालक भू–अभिलेख – **सदस्य** (5) आयुक्त /संचालक भू–अभिलेख द्वारा नामांकित सदस्य – **सदस्य**	
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ पर्यवेक्षक फसल प्रयोग	5 वर्ष	(1) अपर संचालक – **अध्यक्ष** (2) उप संचालक, सांख्यिकी – **सदस्य** (3) सहायक संचालक –**सदस्य** (4) लेखा अधिकारी – **सदस्य** (5) अधीक्षक भू–अभिलेख – **सदस्य** (अ.जा./अ.ज.जा संवर्ग से एक अधिकारी)	
3	बाजार भाव निरीक्षक/संगणक सांख्यिकी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	–तदैव–	
4	मानचित्रकार	मुख्य मानचित्रकार	5 वर्ष	–तदैव–	
5	संगणक सांख्यिकी	बाजार भाव निरीक्षक	10 वर्ष	–तदैव–	
6	पटवारी/अनुरेखक	राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष	–तदैव–	राजस्व निरीक्षक

					परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
7	अनुरेखक	मानचित्रकार	5 वर्ष	—तदैव—	
8	सहायक ग्रेड—तीन / स्टेनो टायपिस्ट / अनुरेखक	संगणक सांख्यिकी	5 वर्ष	—तदैव—	वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, समाज शास्त्र या कृषि विषय में से किसी एक में स्नातक उपाधि होना चाहिये।
9	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष	—तदैव—	भू—अभिलेख कम्प्यूटरीकरण कार्य का अनुभव

अनुसूची–पांच
(नियम 7 देखिये)

सं.क्र.	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख	छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3	राजस्व निरीक्षक	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
4	पारगामी	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
5	मानचित्रकार	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
6	संगणक (सांख्यिकी)	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
7	अनुरेखक	कलेक्टर
8	सहायक प्रोग्रामर	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़
10	पटवारी	कलेक्टर

Naya Raipur, the 15th December 2014

NOTIFICATION

No. F-1-19/2007/seven-3 (part-2).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India. the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Land-Record Class-III Non-Gazetted (Executive and Technical) Services. namely :-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Land-Record Class-III Non-Gazetted (Executive and Technical) Service Recruitmet Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of service means the authority as specified in Schedule-V;

(b) **"Committee"** means a selection Committee/Departmental Promotion Committee constituted under rule 11 and 13 respectively;

(c) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

(d) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(e) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Other Backward Classes"** means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(g) **"Schedule"** means the Schedule appended to these rules;

(h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Chhattisgarh Land-Record Class-III Non-Gazetted (Executive and Technical) Services;

(k) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. - The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment. - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection;

(b) by promotion of members of the services ;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prepared by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to be constitute a selection committee for this purpose, which may adopt

any other appropriate criteria other than these criteria by the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994, (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fullfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii)Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii)Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates.

(h)The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are

retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees:- (a) The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(b) Medical fees- The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees to the Chairman of Medical Board before medical test as prescribed by the Government.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be

held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.- (1) Direct Recruitment by Competitive Examination:- (i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three members.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii) The examination shall be conducted by Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority, from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection/Interview -

(i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on interview.

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

number of expected vacant post due to retirement/promotion during the period of 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category within above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the period of 1 year.

(4) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or upto 25% of number of public servant included in the select list, which ever is more, shall consider the name with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(5) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

15 Preparation of list of suitable candidate. – (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall consist of one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.– (1) subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.– The method of computation for eligibility for promotion– The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The promotion shall be made in accordance with rule 4 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and

(2) Lists so prepared under sub-rule (1) shall also be published for information to the general public.

(3) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.- (1) The appointing authority shall constitute a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation for promotion shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Committee.- (1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration and a list of the candidates in the order of merit of each category belonging to women, persons with disability /ex-serviceme, who have qualified by such standards due to reservation and validity of said list shall be one year from the date of sending the list to the Appointing Authority for appointment.

(2) The list of suitable employees shall be prepared in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

16 Select List. – (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (3) of the said schedule.

(2) The select list shall ordinarily be valid till 31st day of December of the calendar year in which the select list for promotion is prepared:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee if it thinks fit may remove the name of such person from the select list.

17 Appointment to the service from the select list. – (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation. – (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19 Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20 Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21 Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAKANT UIKE, Joint Secretary.

SCHEDULE – I

(See rule 5)

Si.No.	Name of the posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay-scale	Grade pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			STATE LEVEL			
1	Senior Assistant Statistical Officer/ Supervisor, Crop Cutting.	16	Class-III	9300-34800	4300	At the time of promotion to the post of Senior Assistant Statistical Officer/ Supervisor, Crop Cutting shall be eligible for one extra increment
2	Assistant Statistical Officer	11	-do-	9300-34800	4300	
3	Assistant Superintendent Land Record	81	-do-	9300-34800	4200	
4	Head Statistician	02	-do-	5200-20200	2800	
5	Head Draftsman	01	-do-	5200-20200	2800	
6	Price Current Inspector	02	-do-	5200-20200	2400	
7	Revenue Inspector	(643+ 523) 1166	-do-	5200-20200	2800	643 posts are regular and 523 posts are dying cadre.
8	Pargami	05	-do-	5200-20200	2400	
9	Draftsman	43	-do-	5200-20200	2400	
10	Statistician	15	-do-	5200-20200	2200	

11	Assistant Programmer	19	-do-	9300-34800	4300	
12	Data Entry operator	244	-do-	5200-20200	2400	
DISTRICT LEVEL						
13	Patwari	3736	-do-	5200-20200	2200	
14	Tracer	83	-do-	5200-20200	1900	

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S.No.	Name of the post included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6(1)(a))	By promotion (See rule 6(1)(b))	By transfer/deputation of persons from other services (See rule 6 (1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
State Level						
1	Senior Assistant Statistical Officer/ Supervisor, Crop Cutting.	16		100%		
2	Assistant Statistical Officer	11	25%	75%		
3	Assistant Superintendent Land Record	81	25%	75%		25% posts for direct recruitment shall be filled by Chhattisgarh Public Service Commission
4	Head Statistician	02		100%		
5	Head Draftsman	01		100%		
6	Price Current Inspector	02		100%		

7	Revenue Inspector	643	25%	75% (70% from Patwari and 5% from Tracer)		Those tracer shall be eligible for promotion who have passed Revenue Inspector Examination and have experience of field work as equivalent to Revenue Inspector.
8	Pargami	05	100%			
9	Draftsman	43	60%	40%		Promotion shall be made from the post of Tracer
10	Statistician	15	75%	25%		Assistant Grade-III, Steno-typist and Tracer, who have completed 5 years of service and have graduation degree in any one of the Commerce, Economics, Mathematics, Sociology and Agriculture.
11	Assistant Programmer	19	50%	50%		Only those Data Entry Operator shall be eligible for promotion who have required qualification as mentioned in Schedule-III for the post of Assistant Programmer.
12	Data Entry operator	244	100%			
			District Level			
13	Patwari	3736	100%			
14	Tracer	83	100%			

SCHEDULE - III

(See rule 8)

S. No.	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Statistical Officer	21 years	30 years	Post Graduation in any one subject out of Statistics, Mathematics, Economics, Commerce or Agriculture from any recognized University.	
2	Assistant Superintendent Land Record	---do--	---do---	Graduation from any recognized University.	
3	Revenue Inspector	---do--	---do---	(1) Graduation from any recognized University. (2) Passed Higher Secondary Examination in 10+2 system and have Diploma in Civil Engineering (Survey)	
4	Pargami	---do--	---do---	(1) Graduation from any recognized University. (2) Passed Higher Secondary Examination in 10+2 system and have Diploma in Civil Engineering (Survey)	
5	Draftsman	18 years	---do--	Passed Higher Secondary Examination in 10+2 system and should have Civil Diploman in I.T.I. and 5 years experience / Diploma in Civil from Polytechnic	
6	Statistician	21 years	---do--	Graduation in any one subject out of in Mathematics, Economics, Commerce or Agriculture from any recognized University.	
7	Assistant Programmer	---do--	---do---	(1)Should have passed M.Sc. or M.A. in Physics/Mathematics/	

				Statistical Research work/ Economics/ Computer Science with 60% marks or 1st Grade or equivalent grade thereto and should have additional knowledge of 5 new languages of computer programming. Or (2) Should have passed M.Sc. or M.A. in Physics/ Mathematics/ Statistical Research/ Ecomonics/ Computer Science with second class. Or should have passed B.Sc./B.A in Physics / Mathematics/ Statistics/ Economics/ Computer Science in first division Or Post Graduation Diplma in Computer Application in Computer Science from any recognized Institution or University alongwith two years experience and Computer Programming ability in Fox-3 Pro. dot C++ and Oracle is essential.	
8	Data Entry Operator	18 years	--do--	(1)Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data	

				entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
9	Patwari	18 years	35 years	(1) Should have Passed Higher Seconadary Examination in (10+2) system from any recognized Board, (2) Should have qualification in Computer from any Government/ Semi-Government or any recognized institution. (2)Should have minimum one year diploma/ certificate in programming from any recognized institute and data entry speed of 5,000 (Key) depression per hour	
10	Tracer	18 years	30 years	Should have passed Higher Secondary Examination in (10+2) system from any recognized Board, Or Passed Inter drawing examination/Diploma in Tracer/Draftsman from I.T.I.	

Note–The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE - IV
(See rule 13 and 14)

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Selection Committee /Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Revenue Inspector	Assistant Superintendent Land Record	5 years	(1) Secretary, Revenue - **-Chairman** (2) Director Land Record, **-Member** (3) Scheduled Caste/Scheduled Tribes,Super Time Scale IAS officer **-Member** (4) Additional Director Land Record **Member** (5) Nominated member by Commissioner/ Director Land Record- **-Member**	
2	Assistant Statistical Officer	Senior Assistant Statistical Officer/ Supervisor, Crop Cutting.	5 years	(1) Additional Director **-Chairman** (2) Deputy Director, Statistical- **Member** (3) Assistant Director **-Member** (4) Accounts Officer **-Member** (5) Superintendent Land-Record **-Member** (An officer from the SC/ST category)	
3	Price Current Inspector/ Statistician	Assistant Statistical Officer	5 years	—do—	
4	Draftsman	Head Draftsman	5 years	—do—	
5	Statistician	Price Current Inspector	10 years	—do—	
6	Patwari/Tracer	Revenue Inspector	5 years	—do—	should have passed revenue

					Inspector examination
7	Tracer	Draftsman	5 years	--do--	
8	Assistant Grade-III/ Steno Typist/ Tracer	Statistician	5 years		Should have graduation degree in any of the subjects of Commerce, Economics, Mathematics, Sociology or Agriculture
9	Data Entry Operator	Assistant Programer	5 years	--do--	experience in land record computerisation

SCHEDULE - V
(See rule-7)

Sl.no.	Name of the post	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)
1	Assistant Superintendent Land Record	C.G. Government, Revenue & disaster Mangement Department
2	Assistant Statistical Officer	C.G. Government, Revenue & disaster Mangement Department
3	Revenue Inspector	Director, Land Record Chhattisgarh
4	Pargami	Director, Land Record Chhattisgarh
5	Draftsman	Director, Land Record Chhattisgarh
6	Statistician (Statistical)	Director, Land Record Chhattisgarh
7	Tracer	Collector
8	Assistant Programmer	Director, Land Record Chhattisgarh
9	Data Entry Operator	Director, Land Record Chhattisgarh
10	Patwari	Collector

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.